संख्या-9/2025/1201(1)/22-4-2024-1897186

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 2284.00 लाख से समलघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद 08-कार्यालय व्यय में रू0 02.00 लाख, 29-अनुरक्षण में रू0 500.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू0 1000.00 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 05.00 लाख एवं 49-चिकित्सा व्यय में रू0 20.00 लाख की पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34457/बजट अनुमान, दिनांक 18.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 2284.00 लाख से समलघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद 08-कार्यालय व्यय में रू0 10.00 लाख, 29-अनुरक्षण में रू0 894.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू0 1200.00 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 80.00 लाख एवं 49-चिकित्सा व्यय में रू0 100.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 2284.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.11.2024 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तो के अधीन रू0 1527.00 लाख की धनराशि निम्नानुसार पुनर्विनियोजित की गयी है, जिसे नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	01 (वेतन)	5,33,13,40,000 रुपये पाँच अरब तैंतीस करोड़ तेरह	22,84,00,000 रुपये बाईस करोड़	22,84,00,000 रुपये बाईस करोड़	15,27,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़	5,17,86,40,000 रुपये पाँच अरब सत्रह करोड़	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
			लाख चालीस हजार मात्र	चौरासी लाख मात्र	चौरासी लाख मात्र	सत्ताईस लाख मात्र	छियासी लाख चालीस हजार मात्र	
कुल					₹ 22,84,00,000	₹ 15,27,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	49 (चिकित्सा व्यय)	6,50,00,000 रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	6,70,00,000 रुपये छह करोड़ सत्तर लाख मात्र	2024 - 2025
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2024 - 2025
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	42 (अन्य व्यय)	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	35,00,00,000 रुपये पैंतीस करोड़ मात्र	2024 - 2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	29 (अनुरक्षण)	18,00,00,000 रुपये अठारह करोड़ मात्र	8,94,00,000 रुपये आठ करोड़ चौरानबे लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	23,00,00,000 रुपये तेईस करोड़ मात्र	2024-2025
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	08 (कार्यालय व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	2024-2025
कुल				₹ 22,84,00,000	₹ 15,27,00,000		

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में महानिरीक्षक कारागार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2056001010300 (समस्त कारागार)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	025	2056001010300 समस्त कारागार	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov

2	025	2056001010300 समस्त कारागार	29 अनुरक्षण	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
3	025	2056001010300 समस्त कारागार	42 अन्य व्यय	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
4	025	2056001010300 समस्त कारागार	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	025	2056001010300 समस्त कारागार	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**15,27,00,000** **(रुपये पन्द्रह करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)**

महायोग	15,27,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-9/2025/1201(1)/22-4-2024-1897186, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in